

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.पा.अ./ 01 /2019


दिनांक : 30.01.2019

श्रीमती स्वाति शर्मा (RJ0469), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), झालावाड़ को दिनांक 29.01.2019 से 08.02.2019 तक 11 दिनों का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.01.2019 से 28.01.2019 एवं 09.02.2019 से 10.02.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री प्रीति नायक (RJ0430), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को श्रीमती स्वाति शर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), झालावाड़ के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) सुश्री प्रीति नायक (RJ0430), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), झालावाड़ के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

  
30.1.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण )

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/13/2005/ 1095

दिनांक : 30.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को उनके पत्रांक 500 दिनांक 24.01.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती स्वाति शर्मा (RJ0469), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), झालावाड़ ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), झालावाड़ ।
5. सुश्री प्रीति नायक (RJ0430), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ ।
6. संबंधित कोषालय ।
7. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

  
30.1.2019